राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/अतिरिक्त कक्षा–कक्ष निर्माण/20–21/ दि. :

उपायुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
बांसवाडा।

विषय : राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सागेता पंचायत समिति तलवाडा जिला बांसवाडा मे मरम्मत कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

विभागीय पत्रांक 11112–21 दिनांक 23.03.2021 द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सागेता पंचायत समिति तलवाडा जिला बांसवाडा मे निम्नांकित मरम्मत कार्य संपादन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति राशि रू. 4.98 लाख की जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् (समसा) को नियुक्त किया गया एवं कार्यकारी एजेन्सी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है– (राशि लाखो मे)

क्र. स.	कार्य का नाम	कार्य विवरण	तकनिकी स्वीकृति	
			क्र/दि.	राशि
1	छत मरम्मत कार्य	विद्यालय के 7 कक्षा–कक्षों की छत मरम्मत कार्य (चाईना मोजेक)	AEN/SMSA/ 01/24.03.2021	2.31
2	फर्श कार्य	5 कमरे मय बरामदे में कोटा स्टोन कार्य		2.01
3	रंगरोगन कार्य	चारदीवारी मय कक्षा–कक्ष सहित		0.53
4	सेनेट्री कार्य	पानी की टंकी, पाईप वॉश बेसिन		0.13
		योग		**4.98**

उपरोक्त कार्य हेतु राशि का व्यय जनजाति कल्याण निधि मद अन्तर्गत अन्य जिलों की बचत राशि रू. 23.65 लाख मे से होगी। यह राशि आयुक्तालय के पीडी खाते में उपलब्ध है। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक रमसा बांसवाडा को राशि रू. 4.98 लाख हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शर्ते–

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्त्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करे यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जारी कार्यादेश से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी। कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करावे।
5. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
6. कार्य पूर्णता पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।
7. निर्माण कार्य पर टीएडी से स्वीकृत वर्ष, स्वीकृत राशि, व्यय राशि, निर्माण का विवरण आदि का अंकन किया जावे।

sd/

(डॉ. वृद्धि चंद गर्ग)R.A.S
अतिरिक्त आयुक्त

कृ.पृ.उ.

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/अतिरिक्त कक्षा–कक्ष निर्माण/20–21/ 11129-38 दि. : 24/3/21
प्रतिलिपि –

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
4. अतिरिक्त निदेशक/अधीक्षण अभियंता राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् डॉ राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस पुलिया के सामने राजस्थान जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद बांसवाडा।
6. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा जनजाति कल्याण निधि मद अन्तर्गत अन्य जिलों की बचत राशि रू. 23.65 लाख मे से अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक रमसा बांसवाडा को राशि रू. 4.98 लाख हस्तांतरित करावे।
7. प्रभारी अधिकारी मॉनिटरिंग/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
8. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सागेता पंचायत समिति तलवाडा जिला बांसवाडा।
9. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @ rajasthan.gov.in,Website www.tad.rajasthan.gov.in

(12)

Eng. letter Class Room FS 7 2021